



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, अटल नगर - 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू-प्रबंध/विविध/115-707/ 26 31

रायपुर, दिनांक 16/11/2022

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर

- विषय:-** Diversion of 1.701 ha. Of forest land in favour of PWD Bridge Raipur for construction of High level Bridge Across Kajal River on Jawarra Road in Dhamtari District in the State of Chhattisgarh-regarding.
- संदर्भ:-** 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक/FC-I/IROCH-05/2021/438 दिनांक 03.01.2022.
2. मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त का पत्र क्रमांक / तक. शा./ एफ.सी.ए./ 9598 दिनांक 15.09.2022 एवं पत्र क्रमांक/ 03.11.2022

-0-

विषयांतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के संदर्भित पत्र - 1 द्वारा धमतरी जिले के धमतरी वन मंडल अंतर्गत काजल नदी पर ब्रिज निर्माण के लिए रकबा 1.701 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति के अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त द्वारा संदर्भित पत्र-2 के माध्यम से प्रेषित किया है, बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

Sr. No.	Conditions	Compliance
(i)	Legal status of the diverted land shall remain unchanged	वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा, इस हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक- Annexure-I.
(ii)	Compensatory afforestation ;	
a.	Compensatory afforestation on equal Revenue land of 1.71ha. Revenue land non forest in khasra no. 223, at village - Dabha , Tahsil - Magarload, north Singpur Range, Dist. - Dhamtari shall be raised and maintained by the State Forest Department at the cost of the User Agency;	प्रकरण में प्रभावित वनभूमि रकबा 1.701 हे. के विरुद्ध स्वीकृति अनुसार धमतरी वनमंडल के उत्तर सिंगपुर परिक्षेत्र के राजस्व भूमि खसरा क्रमांक 223/2, ग्राम डाभा, तहसील- मगरलोड़, जिला-धमतरी में वन विभाग द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जावेगा। इस हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक- Annexure-II.
b.	The non-forest land shall be transferred and mutated in favor of the State Forest Department. The copy of the mutation shall be furnished to the IRO Raipur;	न्यायालय कलेक्टर, धमतरी जिला धमतरी (छ.ग.) के आदेश क्रमांक/62/वाचक/कलेक्टर/2021 धमतरी, दिनांक 26/11/2021 द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित राजस्व भूमि खसरा क्रमांक 223/2 रकबा 1.710 हे., ग्राम डाभा, तहसील- मगरलोड़ को वन विभाग के पक्ष

		में हस्तांतरण किया गया है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में वन विभाग के नाम से दर्ज है, छायाप्रति संलग्न है। मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त के पत्र दिनांक 03.11.2022 से अधिसूचना प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है जो मय सी. डी. संलग्न है। संलग्नक- Annexure-III एवं Annexure-III (A)												
(iii)	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	आवेदक संस्थान द्वारा 1.710 हे. क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के निर्धारित दर रु. 8,78,787/- प्रति हे. के मान से वरिष्ठ कार्यालय के अनुमोदन उपरांत राशि रु. 15,02,726/- कैम्पा खाता में RTGS No. SBIN222160368751 dt. 09.06.2022 द्वारा जमा किया गया है। संलग्नक- Annexure-IV.												
(iv)	NPV;													
a.	The State Government shall charge the net present (NPV) for the 1.701 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008, and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the ministry vide latter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित वनभूमि 1.701 हे. क्षेत्र का शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि इस कार्यालय के मांग पत्र के आधार पर वरिष्ठ कार्यालय के अनुमोदन उपरांत राशि रु. 12,12,621/- कैम्पा खाता RTGS No. SBIN222160368751 dt. 09.06.2022 द्वारा जमा किया गया है। संलग्नक- Annexure-IV.												
b.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, Shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यदि शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की अतिरिक्त राशि निर्धारित किया जाता है तो उक्त अंतर की राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक- Annexure-V.												
(v)	All the Funds received from the User Agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal;	आवेदक संस्थान द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति के शर्तों के पालन में कुल राशि रु. 27,15,347/- कैम्पा खाता में SBIN222160368751 dt. 09.06.2022 द्वारा जमा किया गया है, जो निम्नानुसार है:- <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.</th><th>मद</th><th>राशि</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>वैकल्पिक वृक्षारोपण</td><td>15,02,726/-</td></tr> <tr> <td>2</td><td>शुद्ध प्रत्याशा मूल्य</td><td>12,12,621/-</td></tr> <tr> <td colspan="2">कुल जमा राशि</td><td>27,15,347/-</td></tr> </tbody> </table> संलग्नक- Annexure-IV.	क्र.	मद	राशि	1	वैकल्पिक वृक्षारोपण	15,02,726/-	2	शुद्ध प्रत्याशा मूल्य	12,12,621/-	कुल जमा राशि		27,15,347/-
क्र.	मद	राशि												
1	वैकल्पिक वृक्षारोपण	15,02,726/-												
2	शुद्ध प्रत्याशा मूल्य	12,12,621/-												
कुल जमा राशि		27,15,347/-												
(vi)	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environment (Protection	EIA Notification 2006 के अनुसार प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति लिये जाने की आवश्यकता नहीं है (छायाप्रति संलग्न)। यदि पर्यावरण स्वीकृति लिये जाने की												

	) Act, 1986, if required;	आवश्यकता हुई तो आवेदक संस्थान पर्यावरण स्वीकृति लिये जाने हेतु वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक— Annexure-VI.
(vii)	The reclamation of quarry should be done under the supervision of the State Forest Department. The quarry shall be reclaimed and afforested completely before the project is closed.	परियोजना निर्माण के दौरान उत्खनन कार्य वन विभाग की देखरेख में किया जावेगा तथा परियोजना बंद होने उपरांत उस स्थान को समतल कर वृक्षारोपण किया जाएगा, इस हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक— Annexure-VII.
(viii)	Overburden shall not be dumped the width of the road. The muck generated in the earth cutting will be disposed of at the designated dumping sites and in no case the muck/debris will be allowed to roll down the hill slopes;	परियोजना निर्माण के दौरान मिट्टी की कटाई से उत्पन्न अतिरिक्त मलबे को वनक्षेत्र के बाहर निर्दिष्ट स्थान पर डंपिंग किया जायेगा, इस हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक— Annexure-VIII.
(ix)	The User Agency will provide retaining walls, breast walls and drainage as per requirement to make the slope stable;	परियोजना निर्माण के दौरान ढलान को स्थिर बनाने के लिए आवश्यकता के अनुसार रिटेंनिंग वॉल, ब्रेस्ट वॉल और ड्रेनेज उपलब्ध कराया जावेगा, इस हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक— Annexure-IX.
(x)	No tree cutting shall be permitted in the diverted forest land;	परियोजना निर्माण के दौरान वनभूमि में किसी भी प्रकार के वृक्ष को नहीं काटा जावेगा, इस हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक— Annexure-X.
(xi)	The designing of culverts/bridges, if any, over the nature streams/rivers/canals should be done in such manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water-logging, and also does not hamper movement of wild animals;	परियोजना का निर्माण डिजाइनिंग के अनुसार इस तरह से किया जावेगा कि यह पानी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित न करें, इस हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक— Annexure-XI.
(xii)	No labour camp shall be established on the forest land;	परियोजना निर्माण के दौरान वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा, इस हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक— Annexure-XII.
(xiii)	The User Agency shall provide fuels preferable alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	परियोजना निर्माण के दौरान आवेदक संस्थान मजदूरों और साइट पर काम करने वाले कर्मचारियों को बेहतर वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराएगा ताकि आसपास के वन क्षेत्रों पर किसी भी तरह के नुकसान और दबाव से बचा जा सके, इस हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक— Annexure-XIII.
(xiv)	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;	वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा, इस हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक— Annexure-XIV.
(xv)	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government;	केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना प्रस्ताव के ले-आउट प्लान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा,

		इस हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक— Annexure-XV.
(xvi)	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government;	प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, इस हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक— Annexure-XVI.
(xvii)	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused;	परियोजना निर्माण के दौरान आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों और जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जावेगा, इस हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक— Annexure-XVII.
(xviii)	The State Government shall ensure the settlement of rights in terms of the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, have been completed in accordance with the relevant guideline issued by the MoEF&CC in this regard;	अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के संदर्भ में प्रकरण हेतु कलेक्टर जिला-धमतरी द्वारा जारी FRA प्रमाण पत्र Annexure-II संलग्न है। संलग्नक— Annexure-XVIII.
(xix)	The User Agency shall submit the six monthly self-compliance report in respect of the above conditions as on 31 st July and 31 st January to the State Government and to the concerned Integrated Regional Office of the Ministry regularly;	प्रकरण में जारी स्वीकृति के शर्तों के संबंध में छः मासिक स्व-अनुपालन रिपोर्ट 31 जुलाई और 31 जनवरी को राज्य सरकार को नियमित रूप से प्रस्तुत किया जावेगा, इस हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक— Annexure-XIX.
(xx)	The State shall also monitor the compliance of conditions of the stage-I approval and an annual report on the same may be submitted to this office as on 31 st December every year;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक— Annexure-XX.
(xxi)	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No.11-42/2017-FC dt 29/01/2018;	उपरोक्त जारी स्वीकृति के किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जाएगा और MoEF&CC दिशा निर्देश F-No-11-42/2017-FC दिनांक 29/01/2018 के अनुसार कार्यावाही आवेदक संस्थान को मान्य होगा, इस हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक— Annexure-XXI.
(xxii)	The User Agency and the State Government shall ensure compliance of all the Court orders, provisions, rules, regulations and guideline for the time being in force as applicable to the project;	आवेदक संस्थान परियोजना के लिए लागू होने वाले सभी न्यायालय के आदेशों, प्रावधानों, नियमों, विनियमों और दिशा निर्देशों का अनुपालन करने हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक— Annexure-XXII.
(xxiii)	Any other condition that the Ministry of Environment, forests & climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;	वनों और वन्यजीवों के संरक्षण, संवर्धन और विकास के हित में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित कोई अन्य शर्त अधिरोपित किया जाता है तो इसे पालन करने हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है।

		संलग्नक- Annexure-XXIII.
(xxiv)	Grant of working permission to the extant proposal may be considered by the State Government in accordance with the provisions as contained in the MoEF & CC's Guideline dated 28.08.2015;	MoEF & CC के दिशानिर्देश दिनांक 28.08.2015 में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव को कार्य करने की अनुमति देने हेतु जो भी निर्णय लिया जावेगा। वह आवेदक संस्थान को मान्य होगा, इस हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक- Annexure-XXIV.
(xxv)	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	आवेदक संस्थान द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन ई-पोर्टल पर अपलोड किया गया है। पुष्टि हेतु ऑनलाईन पार्ट 2 की प्रति संलग्न है। संलग्नक- Annexure-XXV.

उपरोक्तानुसार प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ति आवेदनकर्ता द्वारा पूर्ण कर ली गई है। कृपया प्रकरण में अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति जारी करने हेतु भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को अग्रेषित करने का अनुरोध है।

संलग्न:- 1. उपरोक्तानुसार 02 प्रति में
2. अधिसूचना प्रस्ताव 2 प्रतियों में मय सी.डी.

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)


अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-707/2632

रायपुर, दिनांक 16/11/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. वनमंडलाधिकारी, धमतरी वन मंडल, धमतरी, छत्तीसगढ़।
3. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग (आकाशवाणी के पीछे सिरपुर भवन) रायपुर।


अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/वं. स. अ)
छत्तीसगढ़